राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(भू–अभिलेख अधिकारी)भीम, जिला–राजसमन्द

प्रकरण संख्या – 24/2024 प्रा0पत्र

अनवान

रोशनलाल पुत्र मांगीलाल जैन निवासी बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द।

....................प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द।

...............अप्रार्थी उपस्थित

01. प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री दिपील कुमार व मिठासिंह।
02. स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भीम।

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

दिनांकः 29.07.2025

निर्णय

01. पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार पेश हुआ कि प्रार्थीगण की ग्राम बरार पटवार हल्का बरार तहसील भीम में कृषि भूमि स्थित है जिसके खसरा नम्बर 15192/6363, 6363 कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.0486 है0, खसरा नम्बर 7592 कुल खसरे 01 कुल रकबा 0.0567 है0, खसरा नम्बर 13119, 13123, 13124, 13125, 13126 कुल खसरे 05 कुल रकबा 0.5544 है0, खसरा नम्बर 13139, 13142 कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.3359 है0, खसरा नम्बर 13131, 13207, 13215, 13216, 13218 कुल खसरे 05 कुल रकबा 0.7123 है0, खसरा नम्बर 7165, 7166 कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.1416 है0 है। उक्त आराजियात में प्रार्थी का जाति नाम जैन की बजाय महाजन लिख दिया था जबकि वास्तविक जाति नाम जैन है। प्रार्थी के दस्तावेज आधारकार्ड में जाति नाम जैन है और राजस्व रिकॉर्ड में जैन के बजाय महाजन दर्ज हो गया है। गलत नाम को दुरूस्त करने बाबत राजस्व अधिकारियों एवं पटवारी हल्का को कहा तो राजस्व न्यायालय में दावा पेश कर सुधरवाने हेतु कहां जिस पर यह धारा 136 का दावा पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का जाति नाम महाजन की बजाय जैन दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराये जावे। साक्ष्य में प्रार्थी ने आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं स्कूल रेकार्ड की प्रति पेश की है।

02. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया। प्रत्युत्तर में विपक्षी उपस्थित हुए जिन्होंने जवाब पेश किया जिसमें निवेदन किया है कि प्रार्थी का जाति नाम रिकॉर्ड में महाजन की बजाय जैन दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। उभयपक्षकारान् ने प्रकरण में बहस की। वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि उक्त वर्णित आराजियात में जाति नाम महाजन दर्ज करवा दिया जो गलत है। अतः प्रार्थी का नाम सही करा जाति नाम जैन दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।

03. हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, नकल, जमाबंदी प्रार्थीया द्वारा पेश दस्तावेज एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का सही जाति नाम जैन है। प्रार्थी का जाति नाम महाजन के बजाय जैन दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भीम, जिला–राजसमन्द

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द